

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
website-www.sudaup.org
e mail-pmusuda@gmail.com

पत्रांक- १४५७/२५८/NULM/तीन/२००१ (ESTP)

दिनांक- ०६/०९/१४

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
उत्तर प्रदेश।

नगर आयुक्त

नगर निगम

आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, बरेली,
गोरखपुर, झासी, लखनऊ, गाजियाबाद एवं मेरठ।

अधिशासी अधिकरी

नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत

जारी
०६/०९/१४

लोनी, मोदीनगर (गाजियाबाद), अकबरपुर (अम्बेडकरनगर), अमरोहा, आजमगढ़, बदायूँ, बहराइच, बलिया, बांदा, बस्ती, बुलन्दशहर, खुर्जा, सम्मल, चदौसी, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, मुगलसराय, बडौत (बागपत), देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोण्डा, हापुड़, हरदोई, हाथरस, उरई, जौनपुर, कासगंज, लखीमपुरखीरी, ललितपुर, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, शाहजहांपुर, शामली, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, औरैया, बागपत, बलरामपुर, नवाबगंज (बाराबंकी), चित्रकूट धाम कर्वी, दादरी (गौतमबुद्धनगर), हमीरपुर, विजनौर, कन्नौज, पड़रौना (कुशीनगर), महोबा, मऊ, प्रतापगढ़, खलीलाबाद (संतकबीरनगर), सिद्धार्थनगर, रार्बटसगंज (सोनभद्र) / अमेठी, झानपुर (भदोही), चन्दौली, अकबरपुर (कानपुर देहात), मङ्गनपुर (कौशाम्बी) तथा भिनगा (श्रावस्ती)।

विषय : राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवा नियोजन के माध्यम से रोजगार (ई०एस०टी० एण्ड पी०) के अन्तर्गत शहर स्तरीय कौशल-रिक्तता विश्लेषण (Skill Gap Analysis) आंकलन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के शासनादेश संख्या-के-14011/1/2013-यूपीए, दिनांक 24.09.2013 द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत शहरी गरीबों हेतु संचालित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन०य००एल०एम०) आरम्भ किया गया है। शहरी आजीविका मिशन का आरम्भ शहरी गरीबों के सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के व्यापक एवं एकीकृत रूप से समाधान किये जाने के उद्देश्य से किया गया है ताकि उनकी सामाजिक आर्थिक स्तर में दीर्घकालिक सुधार हो सके।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। चयनित निकायों में शहरी गरीबों को प्रशिक्षण कर रथाई रोजगार से जोड़े जाने का प्राविधान है। इस हेतु शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से आजीविका

उपलब्ध कराने और उनके सशक्तीकरण पर जोर दिया गया है। ई०ए०स०टी० एण्ड पी० उपघटक का उद्देश्य बाजार की कौशल संबंधी मांग के अनुसार शहरी गरीबों को प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि वे स्वरोजगार उद्यम स्थापित कर सकें अथवा वेतन युक्त रोजगार प्राप्त कर सकें।

टिशानिर्देशों के अनुसार शहर स्तर पर शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु शहर में कौशल हेतु औद्योगिक मांग का आंकलन/निर्धारण कौशल-रिक्तता विश्लेषण (Skill Gap Analysis) किया जाना आवश्यक है। कौशल-रिक्तता विश्लेषण आंकलन द्वारा ट्रेडवार/सेक्टरवार लोगों की मांग एवं ट्रेडवार कौशल विशेष की प्रकृति का आंकलन किया जायेगा एवं तदनुसार प्रशिक्षण की रूप-रेखा तैयार कर प्रशिक्षण कार्यक्रम अग्रसारित किये जायेंगे।

शहर स्तर पर शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सर्वप्रथम उस शहर में कौशल-रिक्तता विश्लेषण आंकलन उपरोक्तानुसार करना होगा ताकि शहर स्तर पर उद्योगों, लघु उद्यम एवं बजार की आवश्यकता/मांग के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

कौशल-रिक्तता विश्लेषण आंकलन के उपरान्त प्रारिम्भक रूप-रेखा के अन्तर्गत सेक्टर एवं ट्रेड का निर्धारण करते समय इसका ध्यान रखा जाएँ कि कौशल प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं का सेवा नियोजन बाजार की मांग और आवश्यकता के अनुरूप हो सके। शहर स्तर पर जिला उद्योग केन्द्र राष्ट्रीय कौशल विकास समिति (एन.एस.डी.सी.) की सेक्टर कौशल समिति, तकनीकी विश्वविद्यालयों, राज्य पोषित अनुसंधान संस्थानों, राज्य औद्योगिक संघों या किसी अन्य सक्षम एजेंसी की मदद कौशल रिक्तता विश्लेषण आंकलन में ली जा सकती है अथवा संस्थाओं/संघों द्वारा पूर्व में किये गये शहर स्तरीय कौशल रिक्तता विश्लेषण के आंकलन का उपयोग किया जा सकता है। उक्त (Skill Gap Analysis (SGA)) जिला उद्योग केन्द्र के समन्वय से कराया जाय।

अतः आपसे अनुरोध है कि शहर स्तर पर शहरी गरीबों के प्रशिक्षण हेतु सेक्टर एवं ट्रेड के निर्धारण हेतु कौशल-रिक्तता विश्लेषण आंकलन (Skill Gap Analysis) करते हुए 15 दिनों के अन्दर अभिकरण मुख्यालय को अपनी आख्या/सूचना उपलब्ध करायें। कौशल-रिक्तता विश्लेषण आंकलन द्वारा चिन्हित किये गये सेक्टर एवं ट्रेड की सूची महांप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के द्वारा सत्यापित कराते हुए सी०पी०ओ०, शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के द्वारा हस्ताक्षरित कराते हुए अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध करायें ताकि अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय,
०१/०५/२०२१
(श्रीप्रकाश सिंह)
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि – सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, झ०प्र० शासन।

०१/०५/२०२१
(श्रीप्रकाश सिंह)
मिशन निदेशक